


मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

66AA 645960



प्रारूप - 26
(नियम 4क देखिए)

क्षेत्र क्रमांक -
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)
मध्यप्रदेश विधानसभा, मध्यप्रदेश



राज्य सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं मुब्बशर जावेद अकबर आत्मज शेख अकबर अली उम्र 65 वर्ष निवासी के. 1553 पालम विहार, गुड़गाँव, हरियाणा का निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ :-

(1) मैं भारतीय जनता पार्टी (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

("जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम विधानसभा क्षेत्र 76 बादशाहपुर एवं लोकसभा क्षेत्र 9 गुड़गाँव हरियाणा (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. 043 के क्रम सं. 1254 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 0124-4071136 मो. 09810400019 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी mjakbar@hotmail.com (यदि कोई हो तो) है।

2

1331
10
30 105/116

Mobashar Jawed Akbar
s/o Sheikh Akbar Ali
K-1553 Palam Vihar
Gurgaon, Haryana

Election Commission
Bhopal.



RAMPAL AGRAWAL
STAMP VENDER
Opp. Old Vidhan Sabha, Bhopal

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

| क्र. | नाम | पैन | वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है | आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपए में) |
|------|--------------|------------|--|--|
| 1. | स्वयं | ACXPA0042M | 2014-15 | 3,77,9802 / - |
| 2. | पति या पत्नी | AAHPA3427G | 2014-15 | 4,31,0933 / - |
| 3. | आश्रित - 1 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 4. | आश्रित - 2 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 5. | आश्रित - 3 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

5. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। नहीं

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(प) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। नहीं

| | | |
|-----|--|------|
| (क) | मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे | नहीं |
| (ख) | संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है। | नहीं |
| (ग) | न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख। | नहीं |
| (घ) | न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई। | नहीं |
| (ङ) | तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे। | नहीं |
| (च) | क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं। | नहीं |

(प) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है (पूर्वोक्त मद (1) में वर्णित मामलों से भिन्न) :-

| | | |
|-----|---|--|
| (क) | न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख। | 1. जिला न्यायालय कोन्टई, उत्तर, 24 परगना, पश्चिम बंगाल। मामला संख्या-सी.आर. 915/15। 2. पटियाला हाउस नई दिल्ली, मामला संख्या- सी.सी.103/1/13 |
| (ख) | उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है। | 1. अंतर्गत धारा 500 भा.द.वि. 2. अंतर्गत धारा 500 भा.द.वि. |
| (ग) | पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे | नहीं |

6. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी



अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा।

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है : नहीं

| | | |
|-----|--|------|
| (क) | उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है। | नहीं |
| (ख) | न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें) | नहीं |
| (ग) | अधिरोपित दंड | नहीं |
| (घ) | क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/ है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति। | नहीं |

7. मैं मेरे, पत्नि और सभी आश्रितों की आस्तियाँ (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1. संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2. जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/ संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3. सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5. रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

| क्र. | विवरण | स्वयं | पत्नी | आश्रित-1 | आश्रित-2 | आश्रित-3 |
|------|---|---|--|-----------|-----------|-----------|
| 1. | हाथ में नकदी | रु. 70,000/- | रु. 85,000/- | - | - | - |
| 2. | बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम। | 1. इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा-वसंत विहार, नई दिल्ली, संयुक्त बचत खाता क्र. 159901000000427 राशि रु.96,86,681/- 2. आईसीआईसीआई बैंक, शाखा अंसल विहार, गुड़गाँव, हरियाणा। संयुक्त बचत खाता क्र. 630001500619 राशि रु.9,02,948.72/- एफडीआर, आईसी. आईसीआई. न्यू | 2. केनरा बैंक शाखा हॉसखास, नई दिल्ली। राशि बचत खाता रु. 2,64,835.19/- एफडीआर इंडियन ओवरसीज बैंक वसंत विहार शाखा रु. 6,212,184/- | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |



(Handwritten signature)

| | | | | | | |
|----|--|--|--|-----------|-----------|-----------|
| | | फ्रेन्ड्स कॉलोनी शाखा एवं इंडियन ओवरसीज बैंक, वसंत विहार शाखा रु. 8,247,457 / - 3. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, संसद भवन, बचत खाता नं. 35105714214 राशि रु. 990,366.77 / - | | | | |
| 3. | कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम। | 1. इक्विटी शेयर टाकाफुल इश्योरेन्स रु. 50,000 / - 2. पीपीएफ रु. 2,290,259 / - 3. बिड़ला एसएल इक्विटी रु. 2,500,000 / - 4. एलएनटी बिजनेस सायकल रु. 2,500,000 / - 5. आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी रु. 2,500,000 / - 5. आईसीआईसीआई प्रू ग्रोथ इक्विटी रु. 1,000,000 / - 6. फ्रेंक्लीन इंडिया, रु. 2,000,000 / - 7. आईसीआईसीआई प्रू डिविडेन्ट रु. 500,000 / - 8. फ्रेंक्लीन इंडिया, रु. 2,500,000 / - 9. एलएनटी बिजनेस सायकल रु. 1,000,000 / - 10. एचडीएफसी प्रू रु. 2,500,000 / - 11.आईसीआईसीआई प्रू रु. 500,000 / - 12. आईडीएफसी इक्विटी रु. 2,500,000 / - 13. बी.एन.पी. पेरीबास, रु. 1,000,000 / - 14. रिलायंस एफ. एच. एफ रु. 2,000,000 / - 15. फ्रेंक्लीन इंडिया, रु. 1,999,900 / - 16. आईसीआईसीआई प्रू रु. 38,184.13 / - | 1. आईसीआईसी आई बैलेंस रु.2,000,000 / - 2. आईडीएफसी डायनामिक रु.1,000,000 / - 3. जीपी मोर्गन रु.2,000,000 / - 4. कोटक इक्विटी रु.2,000,000 / - 5. रिलायंस इक्विटी रु.2,000,000 / - 6. बिरला एसएल रु.2,533,296.26 / - 7. बिरला टॉप रु.1,500,000 / - 8. केनरा रीबेको रु.5,311,868 / - 9. एचडीएफसी मिडकेप रु.1,000,000 / - 10. आईसीआईसी आई बैलेंसड रु.4,000,000 / - 11. आईसीआईसी आई इंकम, रु. 1,265,656.96 / - 12. आईसीआईसी आई सेविंग, रु. 2,500,000 / - 13. रिलायंस फिक्सड रु. 2,863,747.14 / - 14. रिलायंस रेग्युलर रु. 4,897,073.21 / - 15. एस.बी.आई फॉर्मा रु. 25,000 / - 16. यूटीआई फिक्सड, रु. 5,100,124.21 / - | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

T.
RAS
y,MP-3
1-8(2)



Handwritten signature

